प्रपत्र – 3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/ व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम :	बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।		
2	आवेदक–आवेदक विभाग का नाम	आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक ,एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर।		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		बस्तर	बस्तर, वनमण्डल जगदलपुर	ग्राम चोकावाडा
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण	वन खण्ड	कक्ष कमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
	क: आरक्षित वन	–	–	–
	ख : सीमांकित संरक्षित वन	–	–	–
	ग : असीमांकित संरक्षित वन	–	–	–
	घ : राजस्व वन भूमि (छोडे/बडे झाड़ के जंगल)	ग्राम–चोकावाड़ा	ख.नं. 640	1.700
			ख.नं. 638	8.100
		योग :–		**9.800 हे.**
6	आवेदित वन क्षेत्र मे वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	Open Forest		
7	आवेदित वन क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	निरंक		

8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति	निरंक
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू. डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	मुख्य मार्ग एन.एच. 63 से लगभग 0.500 कि.मी. मीटर दूरी पर है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायेस्फेयर रिजव, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन करें।	नहीं।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	आवश्यकता नही है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लघंन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तों संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं।

प्रमाण–पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

स्थान :– जगदलपुर
दिनांक :– 24/2/2023

Dalm
वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

कंडिका–26

वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG./Others/28963/2017

7. परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य
(ii) जिला	बस्तर
(iii) वन प्रभाग	बस्तर वनमंडल जगदलपुर
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	9.800 हे.
(v) वन की कानूनी स्थिति	बस्तर वनमंडल के अन्तर्गत चित्रकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि आवेदक अधिशासी निदेशक एन. एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
(vi) हरियाली का घनत्व	Open Forest
(vii) प्रजाति–वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल–2 मीटर की परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	संलग्न है।
(viii) भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	–
(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित क्षेत्र वन सीमा में है।
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य,जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं।

(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुलर्भ/सकंटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तदत्संबंधी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ , यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग – 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाचें गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहें है।	नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–	
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	संलग्न है।
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्रा, और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टि से सक्षमप्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	संलग्न है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	प्रस्तावित क्षेत्र 40.000 हे. कम होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरिक्षण रिपोर्ट आवश्यक नही है

12. विभाग/जिला प्रोफाइल		
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4091.000 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वनक्षेत्र	आरक्षित वन – 1083.761 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन – 661.326 वर्ग कि.मी. असीमांकित संरक्षित वन – 466.720 वर्ग कि.मी 2211.807 वर्ग कि.मी.
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियेाजना – 595.630 हे. प्र0मं0ग्रा0स0यो0 गिट्टी उत्खनन ग्राम उडियापाल,डिलमिली, इरपा – 2.400 हे. बी0आर0ओ0 सडक चौडीकरण –37.031 हे. सर्वेक्षण संग्रहालय निर्माण – 0.789 हे. रेल लाईन निर्माण –10.763 हे. भोण्ड जलाशय – 0.630 हे. पीठापुर जलाशय – 7.860 हे. तारापुर जलाशय –19.448 हे. रक्षा अनुसंधान एवं विकास –132.598 हे. पुलिस चौकी निर्माण –0.900 हे. पानी पाईप लाईन निमार्ण –25.720 हे. विद्युत लाईन निर्माण –4.712 हे. जल विद्युत परियोजना –19.718 हे. कार्यालय भवन एवं आवासीय –0.232 हे. भवन निर्माण हेतु (राजस्व वन भूमि) पुलिस चौकी निर्माण –1.000 हे. कैम्प मुख्यालय स्थापना –1.000 हे. बटालियन मुख्यालय स्थापना –2.000 हे. 220/132/33 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र स्थापित –2.680 हे. ईमली, महुआ बीज प्रसंस्करण केन्द्र स्थापना –0.405 हे. केरिपुबल कैम्प स्थापना –0.740 हे. योग 867.156 हे

(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	नहीं। नहीं
(v)	तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर	वैकल्पिक वृक्षारोपण – 5635.000 हे0 आर.डी.एफ – 6200.000 हे0 योग – 11835.000 हे0 30.00 हेक्टेयर
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश		आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक से ग्रामीण बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाययेगा तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा। अतः वनभूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः– 24/2/2023

स्थानः– जगदलपुर

Dalu

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल बस्तर , जगदलपुर

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि प्रतयावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग –3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे।

....

....

....

....

....

....

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

....

....

....

....

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिषें।

....

....

....

....

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :–

स्थान :–

सरकारी मोहर

ऐतिहासिक प्रमाण पत्र

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन / छोटे झाड़ के जंगल) का प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के इमारत / स्मारक या भवन अथवा अन्य कोई निर्माण नहीं है।

अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला–बस्तर

AGM(ENV)

प्रशान्त दास
अधिशासी निदेशक
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,जिला बस्तर,जगदलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक/289/रीडर/जि0दण्डा0/2021 जगदलपुर दिनांक 3/6/2021

प्रति,

महाप्रबंधक (कार्मिक)
एनआईएसपी, नगरनार ।

विषयः– एनएमडीसी द्वारा आईटीआई एवं पॉलीटेक्नीक कॉलेज निर्माण हेतु ग्राम चोकावाड़ा में प्रस्तावित राजस्व वन भूमि के भू–प्रत्यावर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन विभाग द्वारा 44 चेक लिस्ट के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत् ।

संदर्भः– कार्यालय महाप्रबंधक (कार्मिक),एनआईएसपी,नगरनार का पत्र क्रमांक/एनआईएसपी/भू–अर्जन/2021/86 दिनांक 16.01.2021.

---00---

संदर्भित पत्र द्वारा विषयांतर्गत चाही गयी ग्राम चोकावाड़ा तहसील जगदलपुर की भूमि खसरा नंबर 638,639,640 से संबंधित प्रमाण –पत्र ज्ञापन के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है ।

सूचनार्थ ।

सहपत्रः–01

कलेक्टर
जिला बस्तर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,जिला बस्तर,जगदलपुर

//प्रमाण–पत्र//

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम चोकावाड़ा तहसील जगदलपुर जिला बस्तर मे स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 638 रकबा 13.34 हेक्0 बडे झाड़ का जंगल मद, खसरा नंबर 639 रकबा 1.50 हेक्0 सड़क रास्ता मद, खसरा नंबर 640 रकबा 4.29 हेक्0 छोटे झाड़ जंगल मद की भूमि का निरीक्षण कराया गया ।

उपरोक्त खसरा नंबरों की शासकीय भूमि के आसपास कोई भी **ऐतिहासिक स्थल नहीं है** ।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला बस्तर (छ.ग.)

कलेक्टर
जिला बस्तर

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला–बस्तर

AGM (CBNV)

प्रशान्त दास
अधिशासी निदेशक
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)

(94)

प्रदर्श – "द"

ग्राम सभा चोकावाड़ा की बैठक दिनांक 02.11.2017

का कार्यवाही विवरण

ग्राम चोकावाड़ा

स्थान चोकावाड़ा

दिनांक 02.11.2017

आज दिनांक 02.11.2017 को ग्राम चोकावाड़ा के सरपंच श्री/श्रीमती नकुल राम बोयल की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 08 सदस्य 80% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई –

1. ग्राम चोकावाड़ा में आवेदक एनएमडीसी लिमिटेड, नगरनार ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु – हे0 वन भूमि 9.80 हे0 राजस्व वन भूमि, कुल 9.80 हे0 वन भूमि की मांग की गई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भमि के उपयोग वावत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पंरपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि आई. टी. आई., पालिटेक्निक कॉलेज एवं संबंधित संरचनाओं के निर्माण हेतु कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर पंरपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर पंरपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर पंरपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है

कमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0 में)
01	चोकावाड़ा	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि – हे0 वन भूमि 9.80 हे0 राजस्व वन भूमि कुल योग 9.80 हे0 वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड, नगरनार (आवेदक) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सरपंच
ग्राम पंचायत चोकावाड़ा
जनपद पंचायत जगदलपुर
जिला बस्तर (छ.ग.)

हस्ताक्षर

नाम नकुल राम बोयल

सरपंच ग्राम - चोकावाड़ा

सील

उपस्थित सदस्य गण

कमांक	नाम	हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
01.	विदिया धर नाग (अध्यक्ष, वन अधिकारी सुरक्षा समिति)	
02.	भगत राम सेठिया (सचिव, ग्राम पंचायत)	

सचिव
ग्राम पंचायत चोकावाड़ा
जनपद पंचायत जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner